Dr. Vandana Suman
Professor
Dept. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara

M. A II sem.
CC-07 : Gandhian Philosophy

"Trusteeship"

OCTOBER

2013

NOVEMBER 2013

WK	M	T	W	T	F	S	S
44					1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

DECEMBER 2013

WK	M	T	W	T	F	S	S
48	30	31					1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29

Week 44
Day (301-064)
MONDAY 28

"Trusteeship" के अनुसार यदि व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन है तो वे उसपर अपना स्वामीत्व न मानकर अपनी सम्पत्ती का इस्तेमाल समुदाय के विकास के लिए करे। क्योंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति से शोषण होता है। अतः सम्पत्ति को अपना न मानकर उसे Trust का मानना चाहिए।

गाँधी जी का Trusteeship से मतलब अमीरों के चरित्र में परिवर्तन लाना है। उनके Trusteeship का आदर्श यह है कि हरेक व्यक्ति को संतुलित भोजन, आवास और अपने बच्चों की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए और दवा-दारु की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है उन्हें इसका प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए न करके गरीबों के उत्थान के लिए करना चाहिए। गाँधी जी ने कहा है कि सभी चीजें ईश्वर की दी हुई है और उसी के आधिपत्य की है इसलिए सम्पत्ति भी ईश्वर के सभी लोगों के लिए है किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। जब एक व्यक्ति उचित मात्रा से अधिक धन रखता है तब वह उस भाग को ईश्वर की व्यक्ति के लिए विश्वास के रूप में रखता है। उन्होंने भारत के पूँजीवादी वर्ग को यह चेतावनी दी थी कि जबतक वे गरीबों को उनके उत्थान के लिए विशेष धन का प्रयोग नहीं करते हैं तब वे या तो गरीबों का विनाश करेंगे या गरीबों द्वारा विनिष्ट किये जायेंगे।

गाँधी जी ने अमीरों और जमींदारों को लुटने की कोई कल्पना नहीं की थी बल्कि वे उनका हृदय परिवर्तन

बारके उनकी सम्पत्ति का कुछ अंश गरीबों को देना चाहते हैं। इसके अलावे उन्होंने अमीरों को सोचने के कर मौका दिया कि अमीरों और गरीबों के बीच कितनी खाई है और उसे कैसे दूर किया जाए।

गाँधी जी ने राजनीतिक और सामाजिक तौर पर Trusteeship की बात की है। यह मार्क्स की तरह वर्ग-संघर्ष की बात नहीं है बल्कि गाँधी जी वर्ग-सामंजस्य और वर्ग-हित की बात करते हैं। यह उनके आदर्श का प्रथम चरण है।

गाँधी जी के Trusteeship के सिद्धान्त के अनुसार यह एक वर्गविहीन प्रजातंत्र होगा जिसमें हरेक व्यक्ति उत्पादित श्रम शक्ति में विश्वास करेगा और इसमें कोई शोषक नहीं होगा यहाँ हरेक व्यक्ति एक सन्तान की तरह जियेंगे। जिसमें मूल अधिकारों की संरचना होगी और सबों को समानता का अधिकार प्राप्त होगा।

धन के संरक्षक के रूप में पूँजीपति और जमींदार वर्ग अपनी सम्पत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि में नहीं करेंगे बल्कि समाज के पुनरुत्थान में अपना सहयोग देंगे। उन्हें अपनी कमाई का एक उचित अंश मिलेगा जो कि उन्हें समाज की सहमति से प्राप्त होगा। उन्हें जो मिलेगा इसके लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। क्योंकि यह तो उनके सद्विचार के ही कारण उन्हें मिला हुआ है। अगर वे स्वतः इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस Trusteeship के सिद्धान्त का आचरण नहीं करेंगे

तो समाज उनके साथ असहयोग आंदोलन का सहारा लेगा। तब उनके लिए गरीबों का शोषण करना असम्भव सा साबित होगा। उन्होंने अमीरों को यह स्पष्ट चेतावनी दी की उन्हें अपना रास्ता बदलना होगा और समाज की गति के साथ चलना होगा और यह सिद्धान्तिक सम्पत्ति ईश्वर की दी हुई है यह विचार उन्हें सदा के लिए छोड़ना पड़ेगा। तब बहुत ही कम समय में यह सात सौ हजार गोयठों का ढेर जो कि गांवों के रूप में नजर आते हैं, स्वर्ग में परिणत हो जायेंगे कोई दूसरा रास्ता नहीं है अबतक की स्वेच्छा से अमीर अपने धन को न्योछावर गरीबों के लिए नहीं करते हैं। उन्हें भी चोरों का भय सदा के लिए सतायेगा वे चैन की नींद नहीं सो सकते हैं। अज्ञानी और भूखी जनता देश को अन्धकार के गर्त में डाल देगी।

~~के बहुत ही निकटतम~~ प्यारेलाल जो कि गाँधीजी के बहुत ही निकटतम मित्रों में से थे उन्होंने Trusteeship के सिद्धान्त का विश्लेषण उनके शब्दों में किया है—

1. Trusteeship पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था को समानतावादी व्यवस्था में परिवर्तन की बात करता है। यह वर्तमान शासक सरकार को स्वतः सुधारने की बात करता है। यह इस बात में विश्वास करता है कि मनुष्य स्वभाव कभी भी सुधर सकता है।

2. यह किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ती की बात नहीं करता है और केवल समाज के हित में बात करता है।

3. यह स्वामित्व के व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण को मानता है।

4. राज्य नियंत्रित Trusteeship में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है अपनी संपत्ति के स्वार्थ सिद्धि के लिए बल्कि वह समाज के स्वार्थ सिद्धि में स्वतंत्र है।

5. जिस तरह कि यह प्रस्तावित किया जाता है कि एक न्यूनतम मजदूरी तय की जा सकती है उसी प्रकार धन कमाने की एक न्यूनतम सीमा निर्धारित की जा सकती है। न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच की खाई ऐसी होनी चाहिए जिससे इन्हें पाटा जा सके।

6. गांधीजी की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की गति सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है न कि वैयक्तिक आशाओं और निराशाओं पर।

इस प्रकार Trusteeship के यही सब सिद्धान्त है।